the Central Assistance for construction of hostel for ST boys and girls were released as follows:—

(Rs. in lakhs)

Scheme	1992-93	1993-93	1994-95
Girls Hostels	18.21 (4 Hostels)	19.51 (3 Hostels)	4.73 (4 Hostels)
Boys Hostels	23.00 (7 Hostels)	39.23 (12 Hostels)	6.44 (3 Hostels)

Proposals for 1995-96 & 1996-97 received from the Gujarat Government could not be considered for want of detailed utilisation certificate and progress of construction of the hostels sanctioned earlier.

(e) There are provisions for creating hostel facilities for ST boys and girls under the scheme of NGO.

Representation by Bhartiya Tharoo Kalyan Mahasangh, Champaran (Bihar)

2393. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation from the Bhartiya Tharoo Kalyan Mahasangh, Champaran (Bihar) for inclusion of Tharoo tribe in the list of Scheduled Castes as in the case of Tribe in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government propose to include the tribe in the list of Scheduled Castes;

(c) if so, the steps taken by the Government in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) No. Sir.

(c) to (d) Do not arise.

त्रिपुरा में विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

2394. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा को मंत्रालय द्वारा किन-किन योजनाओं के लिये सहायता दी जाती है और इस सहायता के लिये क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन-किन योजनाओं के लिये प्रदान की गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा सीधे ही इस सहायता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त सहायता से त्रिपुरा के किन-किन जिलों में कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानकों तथा मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं की संख्या तथा प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे विवरण I पर हैं (नीचे देखिए)।

(ग) तथा (घ) जी हां, । राज्य सरकार सीधे सहायता का उपयोग करती है। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण II पर है (नीचे देखिए)।

(ङ) योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है और जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते।